बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04 / ख0वि0अधि0–01 / 11(खंड–1)– 2000 खाद्य, पटना– 11/1/2012

प्रेषक,

ए0 के0 सिन्हा,
विकास आयुक्त, बिहार

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2011–12 अन्तर्गत धान / चावल अधिप्राप्ति हेतु सम्बन्धी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्रांक 10012 दिनांक 23.12.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र के कंडिका–3 से यह निदेश दिया गया है कि जिस पंचायत में पैक्स द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है, वैसे पंचायतों के किसानों से पैक्स के माध्यम से ही धान बेचने हेतु प्रेरित किया जाय । वैसे पंचायत जहाँ पैक्स अधिप्राप्ति कार्य नहीं कर रहे हैं, उस पंचायत के किसानों से ही बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड में खोले गये क्रय केन्द्र पर धान की अधिप्राप्ति की जाय । इस सम्बन्ध में आपको पुनः निम्नलिखित निदेश दिये जा रहे हैं :–

1. जो किसान राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर सीधे धान बेचने हेतु आते हैं, उनसे वांछित कागजात यथा–हाल का मालगुजारी रसीद / अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र / किसान क्रेडिट कार्ड, इनमें से कोई एक एवं किसान का पहचान पत्र लेकर धान का क्रय किया जाय । ऐसा कोई प्रमाण पत्र या शपथ–पत्र या पत्र नहीं मांगा जाय कि पैक्स ने उनसे धान क्रय करने से इंकार किया है या वे पैक्स को धान बेचने के लिए राजी नही हैं । राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर पैक्सों के माध्यम से भी किसानों का धान क्रय किया जायेगा ।

2. पैक्सों से क्रय किये गये धान का मूल्य पैक्स से प्राप्त विपत्रों की जाँच कर केन्द्रीय सहकारिता बैंक / बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये चेक पर Your Self अंकित करते हुए बैंक एडभाईस जिसमें पैक्सों का नाम, आपूर्ति किये गये धान की मात्रा एवं मूल्य अंकित हो, के साथ दो दिनों के अंदर सहकारिता बैंक को भेजना तथा बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भुगतान कराना सुनिश्चित करें ।

3. अधिप्राप्ति किये गये धान के भंडारण हेतु सरकारी संस्थाओं / निजी व्यक्तियों का गोदाम किराये पर बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय । अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी, के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाय । तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायेगा ।

4. अधिप्राप्ति किये गये धान को चावल मिल में पहुँचाने एवं मिल से सी0एम0आर0 प्राप्त कर भारतीय खाद्य निगम के बेस गोदाम तक परिवहन कराने हेतु राज्य खाद्य निगम की परिवहन व्यवस्था को दुरूस्त रखा जाय । अधिप्राप्ति किये गये धान अथवा सी0एम0आर0 का परिवहन राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्त्ता के स्वीकृत दर पर करने में कठिनाई हो तो वैसी स्थिति में अधिप्राप्ति धान / सी0एम0आर0 का परिवहन दर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परिवहन समिति में निर्धारण कर परिवहन

का कार्य कराया जाय । साथ ही जिला परिवहन समिति द्वारा निर्धारित दर अनुमोदन हेतु राज्य खाद्य निगम मुख्यालय में भेजी जाय, ताकि उक्त अनुशंसा के आलोक में धान अधिप्राप्ति हेतु जिलावार परिवहन दर का भुगतान बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जा सके ।

5. किसानों के द्वारा अथवा पैक्सों के द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति हेतु लाये गये धान का अनलोडिंग एवं वहां से अपने बेस गोदाम अथवा मिलिंग हेतु धान मिल तक पहुँचाने तथा मिल से सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम के बेस गोदाम तक पहुँचाने की जिम्मेवारी बिहार राज्य खाद्य निगम की है । इसके लिए बिहार राज्य खाद्य निगम पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करेगा एवं स्वीकृत दर पर भुगतान करेगा ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय ताकि धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य में कोई व्यवधान न हो ।

विश्वासभाजन,

विकास आयुक्त । 11.1.2012

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)–200 खाद्य, पटना– 11/1/2012

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना/सभी जिलों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी जिलों के प्रभारी मंत्री/प्रमंडल स्तर पर प्रतिनियुक्त सभी अनुश्रवण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विकास आयुक्त । 11.1.2012

ज्ञापांक– प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)–200 खाद्य, पटना/दिनांक– 11/1/2012

प्रतिलिपिः सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)–200 खाद्य, पटना/दिनांक– 11/1/2012

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)–200 खाद्य, पटना/दिनांक– 11/1/2012

प्रतिलिपिः आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।